रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 मार्च, 1991/9 चैत्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 1990

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-10/77.—क्योंकि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत देलठ, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के निम्न आरोप हैं :—

1. यह कि उक्त श्री राजेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत देलठ की मुबलिग 16,638 रुपये की नकद शेष की राशि को अनाधिकृत ढंग से अपने पास रखा और इस राशि का दुरुपयोग किया एवं वित्त नियमों की उल्लंघना की;

2. यह कि श्री राजेन्द्र सिंह उपरोक्त ने माह जुलाई, 1988 के टूटू खेल मैदान तथा सड़क निर्माण चूंजा से टूटू के दो पृथक-पृथक मस्ट्रोल बनाए जिसमें सर्व श्री रोशन लाल, कर्म दास, निरम दास, बुद्धि सिंह, धर्मपाल तथा प्यारे लाल की हाजरी दोनों मस्ट्रोलों में दर्शाई जिसके फलस्वरूप मुबलिग 2,520 रुपये की राशि का दोहरा भुगतान दिखा कर गबन किया;

3. और यह कि मुबलिग 1,125 रुपये राशि की रसीद जो श्री रूप दास की दिनांक 15-1-87 बाबत गली तलाई देलठ के कार्य सम्बन्धी है, सन्देहजनक है ;

क्योंकि उपर्युक्त मामलों में उपायुक्त, शिमला द्वारा उनके पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 91/85-1255-56, दिनांक 8/89 द्वारा जारी किए कारण बताओ नोटिस का श्री राजेन्द्र सिंह ने उत्तर नहीं दिया है ;

और क्योंकि आरोपों के तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत, उप-मण्डल अधिकारी रामपुर, जिला शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी रिपोर्ट उपायुक्त, शिमला के माध्यम से 15-1-1991 से पहले-पहले इस विभाग को प्रेषित करेंगे ताकि उच्च न्यायालय में दायर रिट पैटिशन संख्या 362/1190, दिनांक 2-11-90 के आदेश की पालना हो ।

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5).—क्योंकि नियमित जांच के आधार पर श्री भीम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बड़ाग्राम, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा पर यह आरोप स्पष्टतयः बनता है कि उनके पास 6/87 से ग्राम पंचायत बड़ाग्राम की निधि में से मुबलिग 15,000 रुपये की राशि चली आ रही है और उन्होंने यह राशि अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत के बचत खाता में से निकलवा कर उसका दुरुपयोग कर अपने पद का दुरुपयोग किया है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये, उपरोक्त श्री भीम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बड़ाग्राम, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा को नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिये उनके पद से निष्कासित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस के प्राप्त होने के एक मास के भीतर उपायुक्त कांगड़ा की टिप्पणियों सहित इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते और एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शिमला-2, 22 जनवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 16/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़ ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 18-1-86 द्वारा यह सूचित किया था कि श्री देबी शरण, पंच, ग्राम पंचायत मलथेहड़, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी, पंचायत की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं तथा उस पर पंचायत निरीक्षक, मण्डी सदर, द्वारा छानबीन करवाने से यह तथ्य सामने आया है कि श्री देबी शरण 18-9-87 के बाद भी पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी मण्डी से करवाए जाने पर यह तथ्य सामने आया है कि श्री देवी शरण पंच ने भविष्य में होने वाली पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से हाजिर होने का आश्वासन दिया है तथा वह 5-7-90 से पंचायत बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त श्री देवी शरण पंच, ग्राम पंचायत मलयेहड़ से आग्रह किया जाता है कि वह भविष्य में पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें और यदि किसी कारणवश वह पंचायत बैठकों में नियमित रूप से भाग न ले सकें तो समय पर पंचायत को सूचित करें ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव एवं निदेशक ।

अधिसूचना

शिमला-2, 26 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-38/76.—यतः स्थानीय स्वशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0 एस0 जी0 ए0 (4)-11/85, दिनांक 26 अप्रैल, 1988 अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी के विकास खण्ड रिवालसर के ग्राम सभा क्षेत्र रिवालसर के अनुसूची-1 में अंकित ग्रामों/क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है ;

और क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किये गये क्षेत्र पहले ग्राम सभा रिवालसर में सम्मिलित थे तथा इस प्रकार ग्राम सभा क्षेत्र रिवालसर के प्रभावित होने के कारण इस ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों/क्षेत्र के लिये ग्राम सभा का पुनर्गठन किया जाना है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 व 5 के अधीन उनमें विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम सभा रिवालसर के सम्बन्ध में इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-38/76, दिनांक 29-10-83 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए संलग्न अनुसूची-2 में यथा उल्लिखित इस ग्राम सभा के क्षेत्र का पुनर्गठन करक उसकी सहर्ष स्थापना करते हैं :—

अनुसूची-1

क्रम सं0	ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	को0 सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से जो गांव/क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया	विवरण
1	2	3	4	5
1.	रिवालसर	1. गरलौणी 2. हवाणी 3. रिवालसर 4. सेरला खाबु 5. सरकी धार 6. गंदवाहण	रिवालसर	खसरा नं0 1149/1, 1172 ता 1176, 2657/1177, 2658/1178 ता 1184, 1237/1, 1238 ता 1275, 2666/1276, 2767/1276, 1277 ता 1307,

1	2	3	4	5
		7. धार		2659/1308, 1309, 1310 ता 1332/1333 मिन, 1333 मिन,
		8. लेहड़ा		1334 मिन, 1334 मिन, 1335 मिन
		9. चहड़ी		2687/1336, 1337 ता 1360,
		10. गरोड़		2621/1361, 2622/1361,
		11. डी0 पी0 एफ0 कलदों		1362 ता 1367, 1372 ता 1375, 1388 ता 1401, 1403 ता 1426, 2699/1427, 2700/1427, 1428 ता 1431, 2701/1431, 2702/1431, 1433 ता 1472, 2695/1473, 1474 ता 1480, 1480/1, 1480/2, 1481 ता 1483, 1483/1/1484 ता 1494, 1494/1, 1495 ता 1560, 2624/1561, 2655/1561, 1562 ता 1570, 1571/1, 1571, 1572, 1572/1, 1573 ता 1584, 2677/1585, 2678/1585, 1586 ता 1610, 2703/1611, 2704/1611, 1612 ता 1618, 2620/1618, 1619, 1620, 2655/1621, 2654/1621, 2653/1621, 1622, 2660/1623, 2625/1623, 2659/1623, 1624 ता 1626, 2647/1626, 1627 ता 1629, 2653/1630, 2608/1630, 2609/1630, 2607/1630, 2653/1630, 2652/1630, 1631 ता 1634, 2617/1635, 1636, 2684/1637, 2657/1637, 2716/1637, 2685/1638, 2688/1638, 2686/1639, 1640, 1642, 2679/1642, 2681/1642, 2682/1642, 1642, 1643, 2680/1643, 2683/1643, 2716/1644, 1645, 1646, 2627/1647, 2526/1647, 1648 ता 1671, 2631/1672, 2632/1672, 2633/1672, 2663/1672, 2675/1672, 2676/1672, 2694/1672, 2033/1, 2091,

1	2	3	4	5
				2629/2092, 2630/2092, 2093 ता 2102, 2621/2103, 2633/2103, 2104/1, 2303 ता 2340, 2340/1, 2341 ता 2344, 2344/1, 2345, 2346, 2651/2347, 2652/2347, 2348 ता 2444, 2444/1, 2445 ता 2451, 2451/1, 2452 ता 2456, 2456/1, 2457 ता 2482/1, 2483 ता 2529.
			2. हवाणी	खसरा नं0 508, 1173/509, 1174/509, 511 ता 516, 538 ता 574, 641/1.
			3. धार	खसरा नं0 580, 1256/581, 1257/581, 1258/581, 582 ता 585, 1231/586, 1232/586, 587 ता 605, 638 ता 647, 659, 664 ता 669.

अनुसूची-2

क्रम सं0	पूर्ववर्ती ग्राम सभा का नाम	उपरोक्त, अनुसूची-1 से अपवर्जित किये गये ग्रामों/क्षेत्र के उपरान्त कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के शेष ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के स्थान पर नई ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रिवालसर	1. गरलौणी 2. अपर हवाणी 3. लोयर रिवालसर 4. सेरला खाडु 5. सरकी धार 6. गदवाहण 7. निचली धार 8. लेहड़ा 9. चेहडी 10. गरोड़ 11. डी0पी0एफ0 कालदा।	लोयर रिवालसर (रिवालसर)	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 11 तक के गांव।	क्रम सं0 2, 3 तथा 7 के ग्राम अधिसूचना सं0 पी. सी. एच.-एच. ए. (4)-38/76, दिनांक 26-2-1991 में घोषित किये गये हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 28 जनवरी, 1991

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0(5)42/77-III.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-9-1990 जिसके अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी शिमला को सर्वश्री प्रेम लाल, सुख राम, कली राम, तथा उमेद राम पंचों, ग्राम पंचायत मायली, तहसील व जिला शिमला की पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहने के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था का आंशिक रूप से अधिलंघन करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला पंचायत अधिकारी शिमला के स्थान पर प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला को उक्त मामले में जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं, को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को उपायुक्त शिमला के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0पी0(4)226/76.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री राधे लाल, अधीक्षक ग्रेड-I (राजपत्रित श्रेणी-II) मुख्यवास को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिनांक 30-4-1991 (बाद दोपहर) से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 4 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0एच0-एच0ए0(5) 16/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़ ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 18-1-1986 द्वारा यह सूचित किया था कि श्रीमती उर्मिला देवी, पंच, ग्राम पंचायत मलथेहड़ विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी, पंचायत की नियमित बैठकों से अनुपस्थित रह रही हैं तथा उस पर पंचायत निरीक्षक मण्डी सदर द्वारा छानबीन करवाने से यह सामने आया कि श्रीमती उर्मिला देवी 5-8-87 के बाद भी पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रही है,

क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी मण्डी से करवाए जाने पर यह तथ्य सामने आया कि श्रीमती उर्मिला देवी पंच ने भविष्य में होने वाली पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से हाजिर होने का आश्वासन दिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त श्रीमती उर्मिला देवी, पंच, ग्राम पंचायत मलथेहड़ से आग्रह किया जाता है कि वह भविष्य में पंचायत

की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेगी और यदि किसी कारणवश वह पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग न ले सके तो समय पर पंचायत को सूचित करेगी ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव एवं निदेशक ।

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 7 फरवरी, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 41/90.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-9-1990 जो कि राजपत्र (असाधारण) में 1-10-1990 को पृष्ठ 2078 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा नं0 2 की दूसरी पंक्ति में पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 (5) के स्थान पर "पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(5)" पढ़ा जाए ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 13 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)90/76.—क्योंकि श्री बिजा राम शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत रझाना, तहसील व जिला शिमला के विरुद्ध यह आरोप है कि इन्होंने नगरपालिका शिमला के निवासियों को पंचायत क्षेत्र के निवासी दिखा कर उन्हें राशन कार्ड जारी किए तथा श्री बन्सी राम पुत्र श्री ज्यूणू के उपदान के स्वीकृति सम्बन्धी मामले में गलत ढंग से फार्म का सत्यापन किया और वर्ष 1986-87 के दौरान राशन कार्डों के जारी करने हेतु एकत्रित शुल्क का दुरुपयोग किया है ।

और क्योंकि उक्त श्री बिजा राम का यह कृत्य उनकी पंचायत के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं कर्तव्य प्रायणता के विपरीत है जिसके फलस्वरूप उन्होंने प्रधान के पद का दुरुपयोग किया है एवं इसकी गरिमा को आंच पहुंचाई है और उनका प्रधान ग्राम पंचायत रझाना के पद पर पदासीन रहना उचित नहीं समझा जाता ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये श्री बिजा राम शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत रझाना को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव ।

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 26 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4)-38/76-6.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 3 (1)

(एफ0एफ0) के अन्तर्गत प्राप्त हैं। अनुसूची के कोष्ठ संख्या 2 के नीचे अंकित जिला मण्डी के विकास खण्ड रिवालसर की ग्राम सभा रिवालसर के ग्रामों के उस भाग को छोड़ कर जो अधिसूचित क्षेत्र रिवालसर घोषित हुआ है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रयोजन के लिये कोष्ठ सं0 3 में अंकित नाम से ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश देते हैं :—

क्रम सं0	अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु जिस राजस्व ग्राम का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है।	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस अधिसूचना द्वारा गांव का घोषित नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित गांव के खसरा नम्बरान
1	2	3	4
1.	रिवालसर	लोयर रिवालसर	राजस्व ग्राम रिवालसर के कुल क्षेत्र में से खसरा नं0 1149/1, 1172 ता 1176, 2657/1177, 2658/1178 ता 1184, 1237/1, 1238 ता 1275, 2666/1276, 2767/1276, 1277 ता 1307, 2659/1308, 1309, 1310 ता 1332/1333 मिन, 1333 मिन/-1334 मिन, 1334 मिन, 1335 मिन, 2687/1336, 1337 ता 1360, 2621/1361, 2622/1361, 1362 ता 1367, 1372 ता 1375, 1388 ता 1401, 1403 ता 1426, 2699/1427, 2700/1427, 1428 ता 1431, 2701/1431, 2702/1431, 1433 ता 1472, 2695/1473, 1474 ता 1480, 1480/1, 1480/2, 1481 ता 1483, 1483/1, 1484 ता 1494, 1494/1, 1495 ता 1560, 2624/1561, 2655/1561, 1562 ता 1570, 1571/1, 1571, 1572, 1572/1, 1573 ता 1584, 2677/1585, 2678/1585, 1586 ता 1610, 2703/1611, 2704/1611, 1612 ता 1618, 2620/1618, 1619, 1620, 2655/1621, 2654/1621 2653/1621, 1622, 2660/1623, 2625/1623, 2659/1623, 1624 ता 1626, 2647/1626, 1627 ता 1629, 2653/1630, 2608/1630, 2609/1630, 2607/1630, 2653/1630, 2652/1630, 1631 ता 1634, 2617/1635, 1636, 2684/1637, 2657/1637, 2716/1637, 2685/1638, 2688/1638, 2686/1639, 1640, 1642, 2679/1642, 2681/1642, 2682/1642, 1643, 2680/1643 2683/1643, 2716/1644, 1645, 1672, 2627/-1647, 2526/1647, 1648 ता 1672, 2631/1672, 2632/1672, 2633/1672, 2663/1672, 2675/1672, 2676/1672, 2694/1672, 2033/1, 2091, 2629/2092, 2630/2092, 2093 ता 2102, 2621/2103, 2633/2103, 2104/1, 2303 ता 2340, 2340/1, 2341 ता 2344, 2344/1, 2345, 2346, 2651/2347, 2652/2347, 2348 ता 2444, 2444/1, 2445 ता 2451, 2451/2452 ता

1	2	3	4
			2456, 2456/1, 2457 ता 2482/1, 2483 ता 2529 को छोड़ कर जोकि अधिसूचित क्षेत्र रिवालसर में सम्मिलित किया गया है शेष क्षेत्र ।
2.	हवाणी	अपर हवाणी	राजस्व ग्राम हवाणी के कुल क्षेत्र में से खसरा नम्बर 508, 1173/509 1174/509 511 ता 516, 538 ता 574, 641/1 को छोड़ कर, जो कि अधिसूचित क्षेत्र रिवालसर में सम्मिलित किया गया है, शेष क्षेत्र ।
3.	धार	निचली धार	राजस्व ग्राम धार के कुल क्षेत्र में से खसरा नम्बर 580, 1256/581, 1257/581, 1258/581, 582 ता 585, 1231/586, 1232/586, 587 ता 605, 638 ता 647, 659, 664 ता 669 को छोड़ कर, जो कि अधिसूचित क्षेत्र रिवालसर में सम्मिलित किया गया है, शेष क्षेत्र ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

शिमला-171002, 8 मार्च, 1991

संख्या पी० सी० एच० एच०ए० (1) 85/90.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-12-1990 के क्रम में यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने से पहले प्राक्कलन समिति के समक्ष विचारार्थ पेश करेगी जैसा कि माननीय अध्यक्ष विधान सभा ने समिति गठन के लिए अनुमति देते समय शर्त रखी है ।

अत्तर सिंह,
सचिव ।

शिमला-171002, 13 मार्च, 1991

संख्या पी०-सी० एच० एच० ए० (4) 5/77-4.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19) की धारा 3 (1) (एफ० एफ०) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, अनुसूची के कोष्ठ संख्या 3 के नीचे अंकित जिला बिलासपुर के विकास खण्ड झण्डूता के राजस्व ग्राम के भाग को, जो कोष्ठ संख्या 6 के नीचे अंकित है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रयोजन के लिये, कोष्ठ संख्या 5 के नीचे अंकित नाम से सहर्ष आदेशित करते हैं :—

अनुसूची--I

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम जिसका नई ग्राम सभा में शामिल करने हेतु विभाजन किया जाना प्रस्तावित है	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा नम्बर	कोष्ठ संख्या 3 व 4 में वर्णित गांव/क्षेत्र के विभाजन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा रखे नाम	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित गांव के खसरा नम्बरान
1	2	3	4	5	6
1.	झण्डूता	झण्डूता	1 ता 1817	1. झण्डूता 2. मुकडाणा	1 ता 1686 1687 ता 1817

अनुसूची–II

अधिसूचना संख्या 28-5/69-पंच, दिनांक 1 जुलाई, 1972 तथा पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (4)-5/77, दिनांक 20-3-78 को आंशिक रूप में संशोधित करके राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला बिलासपुर क निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन करके उनके लिये निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करने का सहर्ष आदेश दते हैं :––

क्रम संख्या	वर्त्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या कोष्ठ 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड झण्डूता :						
1.	झण्डूता	1. झण्डूता 2. मुकडाणा 3. बलधाड़ 4. प्राहू 5. ठप्पर 6. धराड़ 7. अमरोआ	1. मुकडाणा	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम मुकडाणा" अनुसूची-I में पुराने राजस्व ग्राम झण्डूता के विभाजन पश्चात् राजस्व ग्राम घोषित किया गया है
		8. जंगल खुजरात 9. जंगल रैहन 10. जंगल मटेरी				2. अनुसूचि-I में कोष्ठ संख्या 5 में घोषित ग्राम "मकडाणा" ग्राम सभा झण्डूता से अपवर्जित कर के ग्राम सभा रोहल में सम्मिलित किया गया है ।
						3. कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम "मुकडाणा" को छोड़ कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष गांव ग्राम सभा झण्डूता में ही रहेंगे ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	रोहल	1. रोहल 2. ज्योरा 3. भदोल 4. टोकडू 5. जंगल झाबला 6. नंड 7. नगरांव 8. लेहड़ 9. नांहरल	—	रोहल	कोष्ठ सं0 3 में वर्णित ग्राम तथा ग्राम 1. मुकडाणा ।	ग्राम "मुकडाणा" ग्राम सभा झण्डुता से अपवर्जित कर के ग्राम सभा रोहल में सम्मिलित किया गया है ।

शिमला-2, 13 मार्च, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(4) 30/76-8.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 3(1) (एफ0 एफ0) के अन्तगत प्राप्त हैं, अनुसूची के कोष्ठ संख्या 3 के नीचे अंकित जिला ऊना के विकास खण्ड अम्ब के राजस्व ग्राम के उस भाग को जो कोष्ठ संख्या 6 क नीचे अंकित है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रयोजन के लिए, कोष्ठ सख्या 5 के नीचे अंकित वाग से राजस्व ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:--

अनुसूची --I

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम जिसका नई ग्राम सभा में शामिल करने हेतु विभाजन किया जाना प्रस्तावित है	कोष्ठ सं 3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा नम्बर	कोष्ठ संख्या 3 व 4 में वर्णित गांव/क्षेत्र के विभाजन क पश्चात् अधिसूचना द्वारा रखे नाम	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित गांव के खसरा नम्बरान
1	2	3	4	5	6
1.	अम्ब	1. वण्डवकशी (ग्राम सभा अम्बटिल्ला का राजस्व ग्राम) ।	1 ता 1668 तथा 1 ता 1558	1. वण्डवकशी 2. टकोली	1 ता 1668 1 ता 1558

शिमला-2, 13 मार्च, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(4) 52/76-7.--अधिसूचना संख्या 36-62/72-पंच, दिनांक 29 नवम्बर, 1972, पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4) 52/76-3, दिनांक 30 मई, 1984, पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4)-52/76, दिनांक 6 अप्रैल, 1978 को आंशिक रूप में संशोधित कर के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तगत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4

तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन कर के उनके लिए निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना करते हैं :—

क्रम सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं0 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जन होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास:	कोष्ठ सं0 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मझोग-सुल्तानी ।	1. गूहल 2. पजाली-भडयाला 3. पद्धर 4. वल्ल राजपुतां 5. वल्ला-धिरथां 6. झलेड़ी 7. कलसाई 8. चलाहड़ 9. पंजीली-अध्याणा 10. मझोग खास 11. ढंगु 12. रोपा 13. सिहाल बुल्ली	1. सिहाल बुल्ली	—	—	1. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम "सिहाल बुल्ली" को ग्राम सभा मझोग सुल्तानी से अपवर्जित कर के ग्राम सभा अमरोह में मिलाया गया है । 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव को छोड़ कर कोष्ठ सं0 3 के शेष गांव ग्राम सभा मझोग सुल्तानी में ही रहेंगे ।
2.	अमरोह	1. वधियाणा 2. सिहाल 3. अमरोह 4. कोहाल 5. चौकी 6. बनाल 7. खुबण 8. चुलाल 9. छबोठ ब्राह्मणां 10. छबोट घिरथां 11. चिगड़	—	अमरोह	कोष्ठ सं0 3 में वर्णित गांव तथा ग्राम सिहाल बुल्ली ।	ग्राम "सिहाल बुल्ली" को ग्राम सभा मझोग सुल्तानी से अपवर्जित करके ग्राम सभा अमरोह में सम्मिलित किया गया है ।
3.	बलोह	1. बलोह 2. दरमोह 3. दममल 4. रजयाड़ 5. भन्देड़ 6. भालती दा गाहर । 7. रोहाजा 8. डबरेहड़ा	1. डबरेहड़ा	—	—	1. ग्राम "डबरेहड़ा" को ग्राम सभा बलोह से अपवर्जित कर के ग्राम सभा लम्बलू में सम्मिलित किया गया है । 2. कोष्ठ सं0 4 में वर्णित गांव "डबरेहड़ड़" को छोड़ कर कोष्ठ सं0 3 के शेष गांव ग्राम सभा बलोह में ही रहेंगें ।
4.	लम्बलू	1. लम्बलू 2. धुराड़	—	लम्बलू	कोष्ठ सं0 3 में वर्णित गांव	ग्राम "डबरेहड़ा" को ग्राम सभा बलोह से अपवर्जित कर के

1	2	3	4	5	6	7
		3. खलेऊ 4. डगली 5. ढकरी 6. झटवाड़			तथा ग्राम डबरेहड़ा ।	ग्राम सभा लम्बूल में सम्मिलित किया गया है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (पंचायत) ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 15 मार्च, 1991

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)353/76.—क्योंकि श्री दिवान चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत हरेटा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के विरुद्ध अंकेक्षण पत्रों में दर्शाई गई गम्भीर आपत्तियों तथा विकास खण्ड अधिकारी नादौन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर गम्भीर वैत्तिक अनियमितता करके ग्राम निधि का अपने पद के दुरुपयोग करने पर जिलाधीश हमीरपुर ने दिनांक 16-9-87 को निलम्बित कर दिया है ।

और क्योंकि प्रधान पर लगाये गये आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) बड़सर को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट तथा उस पर जिलाधीश हमीरपुर की टिप्पणियों की बारीकी से जांच करने के उपरांत यह पाया गया कि प्रधान को उचित मार्गदर्शन न मिलने पर वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं जिन्हें गम्भीरता से लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री दिवान चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत हरेटा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर को जहां उन्हें बहाली के सहर्ष आदेश देते हैं वहां उन्हें कारण बताओ नोटिस भी देते हैं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्य के लिए भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाये । उनका उत्तर एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश हमीरपुर के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव (पंचायत) ।

शिमला-2, 15 मार्च, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)37/87.—क्योंकि श्री विरेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भटरान, विकास खण्ड नादौण, जिला हमीरपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे जिस बारे नियमित जांच के आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 11-4-88 को जारी किये गये और जांच उप-मण्डलअधिकारी (नागरिक), बड़सर को सौंपी गई ;

और क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट तथा उस पर उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा की गई टिप्पणियों की बारीकी से जांच करने के उपरांत यह पाया गया कि प्रधान नया था और उसे पंचायत सचिव ने उचित मार्ग-दर्शन न दिया जिसके फलस्वरूप यह कथित वित्तीय अनियमितताएं हुई अतः इन्हें गम्भीरता से लेने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2-ए) क अन्तगत प्राप्त हैं, श्री विरेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भटरान, विकास खण्ड नादौण, जिला हमीरपुर को जहां उन्हें बहाली क आदेश देते हैं उन्हें उक्त कृत्य के लिए चेतावनी देन क आदेश देत हैं कि वह भविष्य म इस प्रकार की अनियमितताएं न बरतें।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित